

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0) ::

पृष्ठांकन क्रमांक 805 / सां0 / 2026

गुना, दिनांक-22.09.2026

यथाआदेशानुसार

माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2026 हेतु समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सार्वजनिक अवकाशों में रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी आदेश क्रमांक 1553/2026 दिनांक 18.09.2026 की अनुमोदन उपरांत मूल प्रति :-

**श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गुना (म0प्र0)**

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


प्रशासनिक अधिकारी
कार्या० प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गुना (म0प्र0)

न्यायालय : सुश्री मधुलिका मुले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना (म.प्र.)

कमांक /1554/ 2026

जिला गुना, दिनांक 18.09.2026

- :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह अक्टूबर+नवम्बर 2026 ::-

माह **अक्टूबर+नवम्बर 2026** के अधोलिखित सार्वजनिक अवकाशों में गुना जिला एवं आरोन, राघौगढ, चांचौड़ा तहसील न्यायिक स्थापना पर अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमाण्ड ड्यूटी नियत की जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निम्नानुसार सार्वजनिक अवकाश दिवस को **दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे** के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

- :: जिला न्यायिक स्थापना-गुना ::-



क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अक्टूबर 2026	माह नवम्बर 2026
1	श्री डालचंद	-	24-11-2026 29-11-2026
2	सुश्री प्रिया शर्मा	-	09-11-2026 10-11-2026 11-11-2026
3	श्री सुरेश बारगीया	02-10-2026 03-10-2026 04-10-2026	-
4	श्री चेतन बजाड़	20-10-2026 21-10-2026	15-11-2026
5	श्री राजकुमार तोरनिया	-	06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026
6	श्रीमती श्रुति चौहान	25-10-2026	21-11-2026 22-11-2026
7	श्री यश दुबे	17-10-2026 18-10-2026	-

		19-10-2026	
8	सुश्री आयुषी मित्तल	10-10-2026 11-10-2026	01-11-2026

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—आरोन ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अक्टूबर 2026	माह नवम्बर 2026
1	श्री बुदे सिंह सोलंकी	02-10-2026 03-10-2026 04-10-2026 18-10-2026 19-10-2026 20-10-2026 21-10-2026	15-11-2026 21-11-2026 22-11-2026 24-11-2026 29-11-2026
2	श्री भरत परमार	10-10-2026 11-10-2026 17-10-2026 25-10-2026	01-11-2026 06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026 09-11-2026 10-11-2026 11-11-2026

— ::तहसील न्यायिक स्थापना—राघौगढ़ ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अक्टूबर 2026	माह नवम्बर 2026
1	श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव	02-10-2026 17-10-2026 18-10-2026 19-10-2026	15-11-2026 24-11-2026 29-11-2026
2	श्री संजीव पिपलादिया	10-10-2026 11-10-2026 20-10-2026 21-10-2026 25-10-2026	01-11-2026 21-11-2026 22-11-2026



3	सुश्री ज्योत्सना गेब्रियल	03-10-2026 04-10-2026	06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026 09-11-2026 10-11-2026 11-11-2026
---	---------------------------	--------------------------	--

- ::तहसील न्यायिक स्थापना-चांचौड़ा ::-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माह अक्टूबर 2026	माह नवम्बर 2026
1	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी	17-10-2026 18-10-2026 19-10-2026	01-11-2026 21-11-2026 22-11-2026 24-11-2026
2	सुश्री प्रियम सेन	02-10-2026 03-10-2026 04-10-2026 20-10-2026 21-10-2026 25-10-2026	15-11-2026 29-11-2026
3	श्री अंकित जैन	10-10-2026 11-10-2026	06-11-2026 07-11-2026 08-11-2026 09-11-2026 10-11-2026 11-11-2026

सामान्य नोट-

1- माह **अक्टूबर+नवम्बर 2026** के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त अन्य किसी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने अथवा स्थानांतरित होने की दशा में गुना, राघौगढ़, आरोन एवं चांचौड़ा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन **माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2026** क्रमशः **श्री सुरेश बारगीया/श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव/श्री बी.एस. परमार/श्री अंकित जैन** द्वारा किया जावेगा।

2- उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर, माननीय

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

3- सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- सार्वजनिक अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता है। अतः रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक कार्य हेतु गरिमा अनुरूप उचित गणवेश रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान धारित करेंगे।

5- समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 03.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

(कृ. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

पृ.क.: ९ / 2026

गुना, दिनांक 22/9/2026

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, गुना की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला/सहायक अभियोजन अधिकारी, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, गुना की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बावत्।
- 7- जेल अधीक्षक जिला गुना, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

- 8- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना गुना/आरोन/राष्ट्र
गौगढ़/चांचौड़ा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधितों
को प्रेषित किये जाने हेतु।



(कु. मधुलिका मुले)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गुना (म.प्र.)

अनुमोदित.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म.प्र.)



